

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/2011/1730

दिनांक 19 सितम्बर, 2011


// संशोधित-अधिसूचना //

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ/अकादमी/सभा/2011/1727 दिनांक 16 सितम्बर, 2011 में त्रुटि होने के कारण निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) के प्रावधानानुसार निम्न समूह निर्वाचित सदस्यों की समयावधि कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक:एफ/अकादमी/सभा/2009/776 दिनांक 24.08.2009 के अनुसार समाप्त होने के कारण रिक्त हुये स्थानों को परिनियमानुसार भरे जाने प्रक्रिया प्रारम्भ करने की सूचना अधिसूचित की जाती है :-


1. 20(1) समूह-ख (दस), (ग्यारह), (बारह), (तेरह)
2. 20(1) समूह-ग (उन्नीस) एवं (बीस-क)
3. 20(1) समूह-घ (इक्कीस), (बाईस) एवं (तीईस)

भवदीय


(प्रो. आनन्द मिश्रा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्न लिखित की ओर सूचनार्थ।

1. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन, राजभवन, भोपाल।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
3. विभागाध्यक्ष/समन्वयक, विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. सूचना पटल पर चर्या हेतु।


उप-कुलसचिव (अकादमी)